# He Gazette of India

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 370] No. 370]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2012/फाल्गुन 24, 1933

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2012/PHALGUNA 24, 1933

#### इस्पात मंत्रालय

#### आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2012

का.आ. 414(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए और किए जाने हेतु विलोपित किए गए संबंधित कार्यों का संबंध रखे बगैर भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात निम्निलिखित आदेश करती है; अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2012 है।
- (2) यह आदेश इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. परिभाषाए: इस आदेश में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो:-
- (क) 'अधिनियम' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;
- (ख) 'उपयुक्त प्राधिकारी' से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है;
- (i) जिसका स्तर इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के स्तर से कम न हो;
- (ii) राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबंधक; और
- (iii) राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योगों के निदेशक अथवा आयुक्त।
- (ग) 'व्यवहारी' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से 802 GI/2012

अथवा अन्यथा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों का नकद में अथवा आस्थगित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता हो।

- (घ) इस्पात और इस्पात उत्पादों से संबंधित "आईटीसी (एचएस) कोड" से अभिप्राय इंडियन ट्रेड क्लासीफिकेशन (हारमोनाइज्ड सिस्टम्स) से है जैसा कि अनुसूची के कॉलम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है;
- (इ.) 'विनिर्माता' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का उत्पादन, निर्माण, एकत्रण अथवा विनिर्माण करता है तथा जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिंदू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी भी है जो ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा हिंदू अविभक्त कुटुंब या कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के उत्पादन, निर्माण, समंजन अथवा विनिर्माण किए जाने का दावा करता हो।
- (च) 'अनुस्ची' से इस आदेश में संलग्न अनुस्ची अभिप्रेत है;
- (छ) 'विनिर्दिष्ट मानक' से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (1) में स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट मानक अभिप्रेत हैं;
- (ज) 'राज्य सरकार' से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है;
- (झ) 'इस्पात और इस्पात उत्पाद' से अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट मदें अभिप्रेत है;
- (ञ) जिन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में हैं।
- 3. विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण आदि के बारे में निषेध:- (1) कोई ट्यिक स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जिरए अनुसूची में दिए गए किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का विनिर्माण अथवा विक्रय के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो और जिस पर प्रमाणन चिह्न अनुज्ञित प्राप्त करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न न लगा हो।

परंतु निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के निर्यात के संबंध में इस आदेश की कोई भी बात लागू नहीं होगी जो विदेशी खरीदारों द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देशन के अनुरूप हो।

- (2) अवमानक अथवा दोषपूर्ण इस्पात और इस्पात उत्पादों, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हों, को स्क्रैप के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो की जांच एवं परीक्षण योजना के अनुसार निपटाया जाएगा।
- 4. प्रमाणन के लिए बाध्यता (1) इस्पात और इस्पात उत्पादों के सभी विनिर्माता इस आदेश के जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिह्न के प्रयोग के लिए अनुजिस प्राप्त करने के लिए, यदि पहले प्राप्त न कर लिया हो, भारतीय मानक ब्यूरों को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
  - (2) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।
  - (3) जब कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है तो वह मानक चिह्न के प्रयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरों से विधिमान्य अनुजिस प्राप्त करने के बाद ही नियमित उत्पादन प्रारंभ करेगा।
  - (4) किसी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक अथवा अधिक इस्पात और इस्पात उत्पादों के लिए उसको रद्द कर दिए जाने पर उक्त ब्यूरो उसकी सूचना उपयुक्त प्राधिकारी को देगा।
- 5. सूचना आदि मंगाने की शक्तिः उपयुक्त प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से,
  - (क) किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने के लिए बुला सकता है जिसको वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण के संबंध में आवश्यक समझे या किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा कर सकता है:
  - (ख) किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अथवा उससे संबंधित या उसके कब्जे में अथवा नियंत्रण में बहियों अथवा अन्य दस्तावेजों और अन्य इस्पात और इस्पात उत्पादों का निरीक्षण कर सकता है अथवा करवा सकता है।
- 6. नमूनों का परीक्षण: मानक चिह्न लगे और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानक की अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु लिए गए किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में ऐसी रीति से परीक्षण किया जाएगा, जो संबंधित भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट हो।

- 7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों को निदेश जारी करने की शक्तिः उपयुक्त प्राधिकारी विनिर्माताओं और व्यवहारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो अधिनियम अथवा इस आदेश के अनुरूप हों और इस आदेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।
- 8. निर्देशों का अनुपालन: अनुस्ची में दिए गए किसी इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसको इस आदेश के तहत कोई निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।
- 9. सूचना देने की अनिवार्यताः कोई भी विनिर्माता अथवा व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों की अवहेलना करने के आशय से पैराग्राफ 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा अपने अधिष्ठान अथवा नियंत्रण में रखे किसी बही अथवा दस्तावेज या किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद को नहीं छुपाएगा, नष्ट नहीं करेगा, उसको विकृत अथवा उसके स्वरूप को विरूपित नहीं करेगा।

अनुसूची
[ पैराग्राफ 2( च ) देखें ]
भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन वाले इस्पात उत्पादों की सूची

भारतीय मानक	शीर्षक	आईटीसी (एचएस)
संख्या		कोड
(1)	(2)	(3)
1785 (पार्ट 1)	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन हार्ड-ड्रॉन इस्पात की	72171010
	तार के लिए विनिर्देशन; भाग 1 कोल्ड- ड्रान स्ट्रेस	72179091
	रिलिट्ड तार	72179099
1785 (भाग 2)	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन हाई-ड्रॉन इस्पात की	72171010
	तार के लिए विनिर्देश; भाग 2 ड्रॉन तार के रूप में	72179091
		72179099
6003	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए इन्डेंटिड तार हेतु विनिर्देश	72171010
		72179091
	\	72179099
6006	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटिड स्ट्रेस रिलिट्ड स्ट्रेंड के लिए विनिर्देश	73121030
13620	फ्यूजन बॉन्डिड इपोक्सी लगी अधिक मजबूत करने	72142090
	वाली अतिरिक्त सरियों के लिए विनिर्देशन	72159090
	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटिड स्ट्रेस रिलिव्ड लो	73121030
	रिलेक्सेशन की सात प्लाइ स्ट्रेंड के लिए विनिर्देश	· .

[	भाग	II—₹	व्रण्ड	3	(ii)	]
---	-----	------	--------	---	------	---

भारत का राजपत्र : असाधारण

277	गेलवेनाईज्ड स्टील शीट्स (प्लेन एवं कोरूगेटेड)	72104100
,		72104900
		72123010
		72123090

[फा. सं. 1(6)/2011-टीडब्ल्य]

डॉ. दलीप सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF STEEL ORDER

New Delhi, the 12th March, 2012

S.O. 414(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in supersession of the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:-

- Short title and commencement (1) This Order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2012.
- (2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions- In this Order, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
- (b) "appropriate authority" means, -
  - (i) an officer not below the rank of an Under Secretary in the Ministry of Steel;
  - (ii) General Managers, District Industries Centres of State Governments;
  - (iii) Directors or Commissioners of Industries of the State Governments or Union territories;
- (c) "dealer", in relation to steel and steel products, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which

802 6012-2

carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing steel and steel products whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

- (d) "ITC (HS) Code", in relation to steel and steel products means the Indian Trade Classification (Harmonised Systems) Codes as specified in the entries in column (3) of the Schedule;
- (e) "manufacturer", in relation to steel and steel products, means a person who or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which produces, makes, assembles or manufactures steel and steel products and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society which claims such steel and steel products to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society, as the case may be;
- (f) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order;
- (g) "specified standard", in relation to steel and steel products means the Indian Standard as specified in the entries in column (1) of the Schedule.
- (h) "State Government" in relation to a Union territory, means the Administrator thereof;
- (i) "steel and steel products" mean the items specified in column (2) of the Schedule:
- (j) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Prohibition regarding manufacture, storage, sale, distribution etc.- (1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any steel and steel products specified in the Schedule, which do not conform to the specified standards and do not bear Standard Mark of the Bureau of Indian Standards on obtaining certification marks licence:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of steel and steel products required for export, which conform to any specification required by the foreign buyer.

- (2) The sub-standard or defective steel and steel products, which do not conform to the specified standard, shall be disposed off as scrap as per the scheme of testing and inspection of the Bureau of Indian Standards.
- 4. Obligation for certification.-(1) All manufacturers of steel and steel products shall make an application to the Bureau of Indian Standards for obtaining licence for use of the Standard Mark, within forty-five days from the date of coming into force of this Order, if not already obtained.
  - (2) The grant of licence by the Bureau of Indian Standards for use of the Standard Mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made there under.
  - (3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture steel and steel products, he shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau of Indian Standards for the use of the Standard Mark.
  - (4) Consequent to the expiry of any licence or cancellation thereof by the Bureau of Indian Standards for one or more of the steel and steel products, the said Bureau shall inform the same to the appropriate authority.
- 5. Power to call for information, etc.- The appropriate authority may, with a view to securing compliance with this Order,-
  - (a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products for the implementation of this

Order or require any such person to furnish to him samples of any such steel and steel products;

- (b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other steel and steel products kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products.
- 6. Testing of samples.- Samples of any steel and steel products bearing the Standard Mark and drawn by the appropriate authority, for ascertaining whether they conform to the specified standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau of Indian Standards and as specified in the relevant Indian Standard.
- Power to issue direction to manufactures and dealers. The appropriate authority may issue such directions to manufacturers and dealers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the provisions of this Order.
- 8. Compliance of directions.- Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products specified in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.
- 9. Obligation to furnish information. No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under paragraph 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any steel and steel products kept by, or in the possession or control of, such person.

SCHEDULE
[See paragraph 2(f)]
List of steel products under mandatory Bureau of Indian Standards certification

Indian	Title	ITC (HS) Code
Standard number		
(1)	(2)	(3)
1785(Part 1)	Specification for plain hard-drawn	72171010
	steel wire for pre-stressed concrete;	72179091
	Part 1 Cold-drawn stress relieved wire.	72179099
1785(Part 2)	Specification for plain hard-drawn	72171010
	steel wire for pre-stressed concrete;	72179091
	Part 2 as drawn wire.	72179099
6003	Specification for indented wire for	72171010
	pre-stressed concrete.	72179091
		72179099
6006	Specification for uncoated stress relieved strand for pre-stressed concrete.	73121030
13620	Specification for fusion bonded	72142090
	epoxy coated reinforcing bars.	72159090
14268	Specification for uncoated stress relieved low relaxation seven ply	73121030
	strand for pre-stressed concrete.	
277	Galvanized steel sheets (plain and	72104100
	corrugated).	72104900
		72123010
		72123090

[F. No. 1(6)/2011-TW]

Dr. DALIP SINGH, Jt. Secy.